रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली

दूरभाष सं. 24365161, फैक्सः 24360644 ईमेलः reccorp@recl.nic.in

ग्राम आरईसीटीआरआईसी

वेबसाइट : recindia.com & recindia.nic.in

निविदा दस्तावेज

निविदा संख्या आरईसी/प्रशासन/कुर्सी/2011/3

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), भारत सरकार का एक उद्यम संलग्न विनिर्देशनों के अनुसार चार प्रकार की कार्यालय कुर्सियों अर्थात मध्यस्तरीय कार्यपालक, कनिष्ठ स्तरीय कार्यपालक, गैर कार्यपालक और आगंतुकों की कुर्सियों की आपूर्ति के लिए फर्मों से 'ऑन लाइन बोली ' आमंत्रित करता है । मध्यस्तरीय कार्यपालक, कनिष्ठ स्तरीय कार्यपालक, गैर-कार्यपालक और आगंतुकों की कुर्सियों के लिए अनुमानित मांग क्रमशः 52,134,70 और 160 है । बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाएगी कि वे अनुबंध-क में उल्लिखित विशिष्टियों के अनुसार दरों का उल्लेख करें ।

विभिन्न ई-टेंडर से संबंधित कार्यों की समय अनुसूची इस प्रकार है :

जारी (निविदा) करने की तारीख	: 15.02.2011
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय	
पात्रता और तकनीकी बोली खोलने की तारीख और समय	08.03.2011 (11.00 बजे)
पात्रता और तकनीकी बोली खोलने की तारीख और समय	08.03.2011 (11.30 बजे)
जमा बयाना राशि	25,000/- रूपये

बोली प्रस्तुत करने और खोलने की प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जाएगी । टेंडर दस्तावेज को (www.tenderwizard.com/REC वेबसाइट या आरईसी की वेबसाइट यथा http:www.recindia.gov.in) में दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है ।

टिप्पणी - ई-बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु, बोलीदाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि उनके पास अपना प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड हो । इस प्रयोजन के लिए बोलीदाता को उपर्युक्त टेंडर विजार्ड वेबसाइट के माध्यम से आरईसी के पास अपने आपको पंजीकृत करवाना होगा । कृपया यह भी नोट कर लें कि निविदा में आवेदन करने के लिए बोलीदाता को डिजिटल हस्ताक्षर टोकन प्राप्त करना होगा । इस संबंध में, विक्रेता टेंडर विजर्ड से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं । पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में अपनाए जाने वाले चरण निम्नवत हैं -

1. वेबसाइट http://www.tenderwizard.com/REC में जाए
2. 'रजिस्टर मी ' लिंक पर क्लिक करें
3. फार्मेट के अनुसार बोलीदाता के बारे में विवरण दर्ज करें
4. ' क्रिएट प्रोफाइल ' पर क्लिक करें
5. बोलीदाता को लॉगिन-आईडी और पासवर्ड .....से पुष्टि मिल जाएगी

टेंडर विजार्ड से डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण निम्नवत हैं -

1. वेबसाइट http://www.tenderwizard.com/REC से आवेदन-पत्र फार्म डाउनलोड करें । दिए गए अनुदेशों का पालन करें ।
2. यदि किसी सहायता की जरूरत हो तो कृपया पृष्ठ-5 में उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क करें ।

टिप्पणी - बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे डिजिटल हस्ताक्षर (लेवल-3) प्राप्त करें और अग्रिम रूप से स्वयं को www.tenderwizard.com/REC में रजिस्टर करें । कृपया नोट करें कि यदि डिजिटल हस्ताक्षर या पंजीकरण न होने के कारण बोलीदाता आवेदन - पत्र नहीं दे सका तो इसके लिए आरईसीएल को किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा ।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप निम्नलिखित फार्मेट में हमें ऐसी सर्वोत्तम दरें प्रस्तुत करें जो सरकारी संगठनों को दी जाती हैं ।

1. **बयाना राशि -** बयाना राशि को एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिस पर 'बयाना राशि ', निविदा संख्या और बोलीदाता का नाम लिखा हुआ हो ।
2. **तकनीकी बोली -**को केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/REC के माध्यम से ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाएगा ।
3. **वित्तीय बोला को केवल वेबसाइट** www.tenderwizard.com/REC के माध्यम से ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाएगा ।

बयाना राशि को संलग्न करके एक अलग लिफाफे में मुहरबंद किया जाएगा जिसके ऊपर निविदा संख्या और नियत तारीख का उल्लेख किया जाएगा । यह लिफाफा उप महाप्रबंधक (प्रशासन),रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003 को संबोधित किया जाएगा और उस बोली में विनिर्दिष्ट तारीख और समय को या उससे पहले आरईसीएल के भूतल पर स्थित मुख्य स्वागत काउंटर पर निविदा संख्या से चिह्नित निविदा पेटी (टेंडर बाक्स) में डाला जाएगा । बयाना राशि और तकनीकी बोली खुलने का कार्य, पात्रता हेतु बोली खोलने की तारीख और समय को, एक साथ किया जाएगा । सभी प्रकार से पूर्ण तकनीकी और वित्तीय बोलियां वेबसाइट www.tenderwizard.com/REC पर ऑन लाइन प्रस्तुत की जाएंगी । बोलियों को अपेक्षानुसार नियत तारीख और समय के अंदर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आरईसीएल जिम्मेदार नहीं होगा । नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त जमा बयाना राशि (ईएमडी) के लिफाफे पर या ऊपर उल्लिखित स्थान से भिन्न अन्य स्थान पर प्रस्तुत लिफाफे पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जाएगा । आरईसी किसी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जमा बयाना राशि लिफाफे के विलंब से प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता बोली खोलने के समय अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकते हैं ।

3. ऑन लाइन बोलियां, आरईसी द्वारा '**8 मार्च, 2011 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक** ' प्राप्त की जाएंगी । निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त किसी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा भले ही उसकी दरें कुछ भी हों । पात्रता और तकनीकी बोलियें को, बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, उसी तारीख को अर्थात **8 मार्च, 2011 को 11.30 बजे पूर्वाह्न** में खोला जाएगा । निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाली फर्मों की वित्तीय बोलियों को खोलने की तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी ।

4. 25,000/- रूपये (मात्र पच्चीस हजार रूपये) की जमा बयाना राशि (ईएमडी) बोली दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाए । जमा बयाना राशि को नई दिल्ली में देय रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जारी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के मांग ड्राफ्ट/बैंकर चैक से अदा किया जाएगा । ऐसी जमा बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

किसी बोली के साथ अपेक्षित जमा बयाना राशि संलग्न नहीं होगी तो उसे अविधिमान्य समझा जाएगा और आरईसी द्वारा उसे रद्द कर दिया जाएगा ।

4.1 निम्नलिखित स्थितियों में जमा बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगाः -

(क) यदि बोलीदाता, बोली वैधता अवधि के दौरान, अपनी बोली वापस लेता है ।

(ख) सफल बोलीदाता के मामले में, यदि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर पाता है ।

(ग) सफल बोलीदाता की जमा बयाना राशि को, निगम की संतुष्टि के अनुसार अपेक्षित वस्तुं प्रस्तुत करने के बाद वापस कर दिया जाएगा और असफल बोलीदाताओं की जमा बयाना राशि को संविदा अवार्ड करने के बाद वापस कर दिया जाएगा ।

4.2 बोली, बोली खुलने की तारीख से 4 महीने की अवधि तक विधिमान्य रहेगी ।

5. दरें और कीमतें

बोलीदाताओं को निर्धारित प्रपत्र में श्रेणी-वार दरों/कीमतों को उद्धृत करना होगा। बोलीदाताओं को अनुबंध-3 में दिए गए फार्मेट में दरों को उद्धृत करना होगा । अपूर्ण बोलियों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा ।

कुर्सियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए उल्लिखित दरों में सभी करों को भी समाविष्ट किया जाए ।

उद्धृत की गयी कीमतें स्थिर होनी चाहिए और प्रस्ताव की विधिमान्य अवधि के दौरान दरों, कीमतों, शर्तों आदि में कोई परिवर्तन किए जाने की स्थिति में जमा बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा ।

वस्तुओं/कुर्सियों को आरईसी के परिसर में सुपुर्द करना होगा और आरईसी के परिसर में वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा या कोई अन्य प्रभार आदि देय नहीं होंगे ।

बिना शर्त वाला बट्टा ही स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि उसका प्रस्ताव दिया जाए, और वस्तुओं की अनुसूची में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए ।

बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुबंध-III में दिए गए फार्मेट में कुर्सियों की आपूर्ति और पुरानी कुर्सियों की वापस - खरीद के संबंध में कीमतों को उद्धृत करें ।

6. पुरानी कुर्सियों की वापस - खरीद

6.1 बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पुरानी कुर्सियों की वापस - खरीद करें जिनकी संख्या लगभग 400 है (जिनमें वापस - खरीद करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की कुर्सियां शामिल हैं । कुर्सियां 'जैसी हैं जहां हैं ' के आधार पर खरीदनी होंगी । अतः बोलीदाता दरों का उल्लेख करने से पहले प्रबंधक (प्रशासन) की पूर्व सूचना से किसी भी कार्य दिवस को स्कोप कांप्लेक्स में कुर्सियों को देख सकते हैं ।

6.2 बोलीदाताओं को आरईसी के स्कोप कांप्लेक्स कार्यालय से पुरानी कुर्सियां उठाने की व्यवस्था करनी होगी, जो आरईसी द्वारा सूचित की जाने वाली सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार कुर्सियों की आपूर्ति से कड़ीबद्ध हैं ।

6.3 पुरानी कुर्सियों को उठाने या उनको ले जाने के कारण किए जाने वाले किसी व्यय के लिए आरईसी द्वारा किसी अतिरिक्त भाड़े अथवा संभलाई प्रभार के रूप में कोई अदायगी नहीं की जाएगी।

6.4 पुरानी कुर्सियों की वापस - खरीद हेतु दरों का उल्लेख न करने वाले बोलीदाताओं की बोलियों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

7. <u>बोलियों का मूल्यांकन</u>

बोलियों का मूल्यांकन पहले तकनीकी मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा । तकनीकी मापदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को खोला जाएगा। जो बोलीदाता, तकनीकी बोली (अनुबंध-।।) की मद संख्या 6, 7, 8, 9 और 11 में दिए गए मापदंड को पूरा नहीं करते हों, की बोली रद्द कर दी जाएगी । विधिमान्य बोलियों को प्रस्तावित न्यूनतम सकल राशि पर मूल्यांकित किया जाएगा । सकल राशि को, उल्लिखित दरों द्वारा (जिनमें कर आदि भी शामिल हों) कुर्सियों की अनुमानित संख्या से गुणा करके निकाला जाएगा । इसमें नई कुर्सियों के मूल्य में से पुरानी कुर्सियों को वापस - खरीद मूल्य को घटाया जाएगा जो खण्ड 6.1 में उल्लिखित अनुमानित मात्रा द्वारा गुणा करके उल्लिखित दरों के आधार पर होगा । न्यूनतम सकल राशि का प्रस्ताव देने वाले बोलीदाताओं पर कार्य अवार्ड करने के लिए विचार किया जाएगा ।

उदाहरणार्थ यदि नई कुर्सियों के लिए उल्लिखित दर श्रेणी क, ख ग, और घ कुर्सियों के लिए क्रमशः रूपये 5,000/-, 4,000/-, 3,000/- और 2,000/- है और पुरानी कुर्सियों का मूल्य 1,000/- रूपये प्रति कुर्सी है तो न्यूनतम दर का हिसाब इस प्रकार लगाया जाएगा -

(i) नई कुर्सियों का मूल्य

श्रेणी-क	रू.5000x 52	रूपये 2,60,000/-
श्रेणी-ख	रू.4000x 134	रूपये 5,36,000/-
श्रेणी-ग	रू.3000x 70	रूपये 2,10,000/-
श्रेणी- घ	रू.2000x 160	रूपये 3,20,000/-
उप योग (1)		रूपये 13,26,000/-
(ii) पुरानी कुर्सियां रू.1000x 400		रूपये 4,00,000/-
सकल राशि (उप योग (i)-(ii)		रूपये 9,26,000/-

8. <u>अदायगी की शर्तें</u>

सामग्री के संतोषजनक ढंग से प्राप्त होने और कार्य पूरा होने तथा बिल प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर अदायगी कर दी जाएगी ।

9. <u>आपूर्ति में विलंब के कारण आदेश का रद्दकरण</u>

सफल बोलीदाताओं को चाहिए कि वे जारी कार्य आदेश के अनुसार मदों की आपूर्ति अवश्य कर दें । यदि निर्धारित समय-सीमा के बाद 15 दिन के तक आदेश का अनुपालन करने में विलंब किया जाता है तो आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह इस आदेश को रद्द कर सकता है ।

10. <u>कार्य-निष्पादन गारंटी</u>

10.1 सफल बोलीदाताओं को अनुबंध-IV मे दिए गए फार्मेट के अनुसार कार्य-निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करनी होगी । यह गारंटी संविदा के उचित और समुचित पूरा करने की स्वीकृति की तारीख से 10 कैलेंडर दिन के अंदर कार्य आदेश के मूल्य के 5 प्रतिशत की रकम के बराबर की होगी ।

10.2 सफल बोलीदाता की जमा बयाना राशि को ऐसी कार्य-निष्पादन गारंटी प्राप्त होने और उसे स्वीकार करने के बाद वापस कर दिया जाएगा ।

10.3 सफल बोलीदाता द्वारा दी गई कार्य-निष्पादन गारंटी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में (अनुबंध-IV में दिए गए फार्मेट के अनुसार) होगी और यह 2 वर्ष की वारंटी अवधि के बाद 60 दिन की अवधि तक विधिमान्य होगी ।

10.4 यदि सफल बोलीदाता/पूर्तिकर्ता कार्य आदेश प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर कार्य-निष्पादन गांरटी प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो खंड 11.3 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कार्य आदेश के मूल्य की 5 प्रतिशत राशि को रोक लिया जाएगा ।

11. माध्यस्थम

यदि करार की शर्तों के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद पैदा हो जाता है या उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों या दायित्वों के संबंध में कोई विवाद या मतभेद पैदा हो जाता है तो पक्षकार बैठक आयोजित करेंगे और सौहार्दपूर्ण ढंग से इनका समाधान करेंगे । यदि पक्षकार उचित समय के अंदर सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं कर पाते हैं तो यह विवाद, शंका या मतभेद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ के माध्यस्थम के लिए भेजा जाएगा । मध्यस्थ का निर्णय निष्कर्षपूर्ण, अंतिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा । न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिल्ली होगा ।

12.किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।

13. आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह बोलियों के इस आमंत्रण को बिना कोई कारण बताए रद्द करने/वापस करने का निर्णय ले सकता है । ऐसा निर्णय लेने पर इसके परिणामतः आरईसी को किसी भी देयता पर कोई खर्च नहीं करना होगा ।

14. आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह आदेश देने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को, बोली की प्रक्रिया को और किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है या रद्द कर सकता है और इसके परिणामतः उसकी कोई देयता नहीं होगी ।

15. <u>अनिवार्य बाध्यता (फोर्स मेज्यूर)</u>

15.1 यदि कोई पक्षकार आपातिक स्थितियों के कारण इस संविदा के अधीन उसके द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित दायित्व का कार्य-निष्पादन नहीं कर पाता है तो ऐसे अनिवार्य बाध्यता से प्रभावित पक्षकार के संबंधित दायित्व उतनी अवधि के लिए निलंबित रहेंगे जब तक वे कारण समाप्त नहीं हो जाते ।

15.2 ' अनिवार्य बाध्यता ' शब्द से तात्पर्य दैवी आपदा, युद्ध, नागरिक विद्रोह, आगजनी, बाढ़ से है और जिसका सीधा दुप्रभाव संविदा के कार्य-निष्पादन पर पड़ता हो । इसमें दोनों पक्षकारों यथा आरईसी और ठेकेदार की संबंधित सरकारों के अधिनियम और विनियम भी शामिल हैं ।

15.3 ऐसे कारणों के घटित होने और इनके समाप्त होने पर पक्षकार तथाकथित रूप से यह कह सकते हैं कि उपर्युक्त कारणों से वे यह कार्य-निष्पादन नहीं कर पाए हैं। इसके संबंध में उन्हें दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में सूचित करना होगा जिसमें आपात स्थिति के शुरू होने और उसके समाप्त होने के बारे में संबंधित कारण के समाप्ति के 72 घंटे के अंदर अन्य पक्षकार को इसकी सूचना देनी होगी । यदि आपात स्थिति के कारण सुपुर्दगी का कार्य निलंबित रहा हो, जो दो (2) माह तक बना रहे। आरईसी के पास यह विकल्प होगा कि वह अपने विवेक से अपनी किसी देयता के बिना इस संविदा को पूर्णतः या अंशतः रद्द कर सकता है ।

15.4 अनिवार्य बाध्यता के कारण निलंबित संबंधित दायित्व के कार्य-निष्पादन का समय उस अवधि तक बढ़ाया गया माना समझा जाएगा, जब तक यह कारण समाप्त नहीं हो जाता है ।

16. लागू कानून और क्षेत्राधिकार

इस संविदा से संबंधित सभी मामलों पर वास्तविक और कार्यविधिक दोनों दृष्टियों से विद्यमान भारतीय कानून लागू होंगे और उन पर दिल्ली में स्थित भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचार किया जाएगा ।

17. बोलीदाता (लघु इकाई) जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में 'एकल बिंदु पंजीकरण योजना ' के अधीन पंजीकृत हों, उन्हें जमा बयाना राशि की अदायगी से छूट दी जाती है और उन्हें उस आर्थिक सीमा तक प्रतिभूति जमा से भी माफी दी जाती है जिसके लिए वह इकाई पंजीकृत है, जो लघु उद्योग इकाई उपर्युक्त रियायतों का दावा करना चाहते हों उन्हें अपना अद्यतन एनएसआईसी प्रमाण-पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जिसमें उनकी आर्थिक सीमा और वित्तीय क्षमता को एनएसआईसी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो ।
18. आपूर्ति की जाने वाली वस्तुं, मानक विशिष्टयों के अनुरूप होंगी । निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार अच्छी हालत में माल प्राप्त/स्वीकार करने के बाद अदायगी की जाएगी ।
19. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना होगा ।
20. नियमों/कानूनों के अधीन स्वीकार्य करों को ठेकेदार के बिलों से काटा जाएगा ।
21. खरीद और पुरानी वापस - खरीद के संबंध में उल्लिखित मदों/कुर्सी की मात्रा केवल अनुमानित है और आवश्यकतानुसार आरईसी इसे घटा या बढ़ा सकता है । बोली दस्तावेज के अनुसार वैधता अवधि के दौरान आरईसी किसी भी समय कार्य आदेश को अंशों में भी दे सकता है ।
22. बोलीदाता फर्म कार्यालय कुर्सियों की वारंटी अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा। हालांकि, न्यूनतम वारंटी अवधि 2 वर्ष की होगी । इस अवधि के दौरान यदि कोई कमी पाई गई तो ठेकेदार द्वारा उसे नःशुल्क ठीक करना होगा /बदलना होगा । यदि ठेकेदार उचित अवधि (2 सप्ताह) के अंदर यह दोष दूर नहीं करता है तो आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह अन्य तरीकों से उसे ठीक कराने की व्यवस्था करेगा और इस खर्च को उसके प्रतिभूति जमा/कार्य-निष्पादन गारंटी से पूरा करेगा ।
23. बोलीदाता को ऐसी प्रत्येक श्रेणी की कुर्सियों का रंगीन फोटोग्राफ, विस्तृत विनिर्देशन और डिजाइन प्रस्तुत करना होगा, जिनके संबंध में बोली दस्तावेज में दरों का प्रस्ताव दिया जाता है ।
24. यदि मांग की जाती है तो वह वस्तुओं का नमूना भी भेजेगा और अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर यथाशीघ्र वापस ले जाना होगा। आरईसी नमूनों के मूल्य या उनके परिवहन प्रभार आदि के संबंध में अदा की गई रकम के संबंध में कोई व्यय करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । बोलीदाता आरईसी की समिति द्वारा आपसी सुविधा के अनुसार तय किए गए स्थान और समय पर बोलीदाताओं के कार्य-स्थल पर नमूना कुर्सियों की जांच करने की व्यवस्था भी करेगा ।
25. किसी वैकल्पिक/सशर्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।
26. आरईसी को अधिकार होगा कि वह संविदा अवार्ड करने से पहले किसी भी समय बोली प्रक्रिया को रद्द कर सकता है, जिसमें बोली प्राप्त किए जाने के बाद कोई या सभी बोलियों को रद्द करना भी शामिल है । इसके कारण प्रभावित बोलीदाता के प्रति उसकी देयता नहीं होगी और ऐसी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगी कि वह आरईसी की कार्रवाई का कोई कारण प्रभावित बोलीदाता को बताए ।

27. आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है और किसी भी समय बोली प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है और आदेश देने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को रद्द कर सकता है और इसके कारण उसकी कोई देयता नहीं होगी ।

28. यदि दस्तावेजों के संबंध मे कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो वह निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है -

श्री ए.के.अरोड़ा उप महाप्रबंधक (प्रशासन) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि., कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **नई दिल्ली - 110 003** फोन नं. 24366921	श्री विनय कुमार केसरवानी प्रबंधक (प्रशासन) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि., कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **नई दिल्ली - 110 003** फोन नं. 43091537

अनुबंध-क

कार्यालय कुर्सियों का विनिर्देशन

क्रम सं.	कुर्सी का प्रकार	विनिर्देशन	विनिर्देशन	विनिर्देशन
		पृष्ठ भाग (बैक)	सीट	आर्म्स/अन्य साइज
1.	श्रेणी - क (मध्यस्तरीय) कार्यपालक	12 मिमी. हॉट प्रेस्ड प्लाई पीछे इरगोनोमिकली डिजाइनड एंड शेपड, यू पोलीयूरेथिन फॉम 40-50 मिमी. और अच्छी गुणता वाली फैब्रिक सहित चौड़ाई : 70 सेंटीमीटर गहराई : 70 सेंटीमीटर ऊंचाई : 109.0-126.0 सेंटीमीटर	12 मिमी. हॉट प्रेस्ड प्लाई पीछे इरगोनोमिकली डिजाइनड एंड शेपड, यू पोलीयूरेथिन फॉम 40-50 मिमी. और अच्छी गुणता वाली फैब्रिक सहित सीट की ऊंचाई 40.0-54.0 सेंमी	पोलीप्रोपिलीन आर्म रेस्ट, ऊंची पीठ वाली कुर्सी
2.	श्रेणी ख (कनिष्ठ स्तरीय) कार्यपालक	12 मिमी. हॉट प्रेस्ड प्लाई पीछे इरगोनोमिकली डिजाइनड एंड शेपड, यू पोलीयूरेथिन फॉम 40-50 मिमी.और अच्छी गुणता वाली फैब्रिक सहित चौड़ाई : 70 सेंटीमीटर गहराई : 70 सेंटीमीटर ऊंचाई : 85.0-100.0 सेमी	12 मिमी. हॉट प्रेस्ड प्लाई पीछे इरगोनोमिकली डिजाइनड एंड शेपड, पोली यूरेथिन फॉम 40-50 मिमी. और अच्छी गुणता वाली फैब्रिक सहित सीट की ऊंचाई 40.0-54.0 सेंमी	पोलीप्रोपिलीन आर्म रेस्ट,
3.	श्रेणी - ग गैर-कार्यपालक	12 मिमी. हॉट प्रेस्ड प्लाई पीछे इरगोनोमिकली डिजाइनड एंड शेपड, यू पोलीयूरेथिन फॉम 40-50	12 मिमी. हॉट प्रेस्ड प्लाई पीछे इरगोनोमिकली डिजाइनड एंड शेपड,	पोलीप्रोपिलीन आर्म रेस्ट,

		मिमी.और अच्छी गुणता वाली फैब्रिक सहित चौड़ाई ः 70 सेंटीमीटर गहराई ः 70 सेंटीमीटर ऊंचाई ः 88.0-100.0 सेमी	पोलीयूरेथिन फॉम 40-50 मिमी. और अच्छी गुणता वाली फैब्रिक सहित सीट की ऊंचाई 45.0 सेंमी	
.4.	श्रेणी - घ आगंतुक ओ	12 मिमी. हॉट प्रेस्ड प्लाई पीछे इरगोनोमिकली डिजाइनड एंड शेपड, यू पोलीयूरेथिन फॉम 40-50 मिमी. और अच्छी गुणता वाली फैब्रिक सहित चौड़ाई ः 70 सेंटीमीटर गहराई ः 70 सेंटीमीटर ऊंचाई ः 88.0-100.0 सेमी	12 मिमी. हॉट प्रेस्ड प्लाई पीछे इरगोनोमिकली डिजाइनड एंड शेपड, पोलीयूरेथिन फॉम 40-50 मिमी. और अच्छी गुणता वाली फैब्रिक सहित सीट की ऊंचाई 45.0 सेंमी	पोलीप्रोपिलीन आर्म रेस्ट,

ओआगंतुकों की कुर्सियां ऊपर-नीचे करने वाली नहीं होगी और वे झुकाव वाली भी नहीं होंगी ।

अन्य विशेषताएं -

आधार - 5 प्रोंग एल्यूमीनियम अलोय , क्रोम और पीपी बेस (680 मिमी)

- टेंशन नोब - नियंत्रण करने योग्य बैक रेस्ट टेंशन ताकि उसे ऊपर-नीचे किया जा सके और उसे झुकाया जा सके या पीछे को दबाने पर वह वापस आ सके
- सिंक्रोमेकेनिज्म - सिंक्रोमेकेनिज्म ताकि 3ः1 की स्थिति में उसे पीछे किया जा सके या विपरीत दिशा में घुमाया जा सके ।
- गैस लिफ्ट - बीआईएफएमए मानक 100 मिमी के अनुसार ।
- 3डी रैप- अराउंड डिजाइन - पीठ और सीट इस प्रकार बनी हों कि वह शरीर को अधिक से अधिक आराम दे सके ।
- बैक सपोर्ट - पीठ ऐसी बनी हो कि वह हमारी रीड (स्पाईन) को सहारा दे सके।

अनुबंध -II

<u>तकनीकी बोली</u>

1. फर्म का नाम --------------------
2. पंजीकृत पता --------------------
3. संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम --------------------
(i) पता --------------------
(i i) टेलीफोन नं. (लैंड लाइन) ---------------मोबाइल नं. --------------------
4.ई-मेल आईडी --------------------
5. फर्म का प्रकार (कृपया उल्लेख करें)
स्वामित्व/भागीदारी/ लिमिटेड कंपनी/सहकारी समिति
6. पैन नं. (अनिवार्य)
(कृपया प्रति अपलोड करें) --------------------
7. वेट संख्या (अनिवार्य)
(कृपया प्रतियों को अपलोड करें) --------------------

8. पिछले 4 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र का अनुभव (अनिवार्य)
इसी प्रकार की वस्तुओं को न्यूनतम एक सरकारी क्षेत्रक उद्यम को आपूर्ति करने का अनुभव हो और दो अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों को आपूर्ति करने का अनुभव जिनमें से (i) जिसमें एक आदेश का मूल्य कम से कम 12 लाख रूपये और (i) दो आदेशों में प्रत्येक का न्यूनतम मूल्य आदेश 7.5 लाख रूपये हो ।
ओकृपया दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात रसीद, चालान या बीजक की प्रतियां या ग्राहक से कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा करने का प्रमाण-पत्र की प्रतियां, जिसमें आदेश की संख्या और उसके मूल्य का उल्लेख किया गया हो , को अपलोड करें।
. --------------------संलग्न (कृपया उल्लेख करें)

9. बोलीदाता का औसत वित्तीय कारोबार, पिछले 4 वर्षों के दौरान कम से कम 10.5 लाख रूपये प्रति वर्ष होना चाहिए (अनिवार्य)

2006-07 --------------------
2007-08 --------------------
2008-09 --------------------
2009-10 --------------------
(कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात लाभ-हानि लेखे/चार्टड अकाउटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेज की प्रतियां अपलोड करें)
10.(i) श्रेणी क, ख, ग, और घ कुर्सियों के रंगीन फोटोग्राफ विस्तृत विनिर्देशन और डिजाइन
(ii) क्या कुर्सियो के प्रस्तावित विनिर्देशन आरईसी द्वारा अनुबंध-क में निर्धारित न्यूनतम विनिर्देशनों को पूरा करते हैं । हां/नहीं ।
(iii) प्रस्तावित कुर्सियों की अन्य विशेषताएं यदि कोई हों (कृपया दस्तावेज संलग्न करें)

11. जमा बयाना राशि (आरईसी को भेजा जाए और तकनीकी बोली के साथ मांग ड्रॉफ्ट की प्रति स्कैन करके अपलोड की जाए)

(क) राशि रूपये 25,000/-

(ख) मांग ड्राफ्ट संख्या ....

(ग) बैंक ....

अनुबंध-**3**

<u>वित्तीय बोली</u>

1. नई कुर्सियों की उद्धृत वित्तीय दरें		
क्रम सं.	ब्योरे	उद्धृत यूनिट दर (सर्व समावेशित करों सहित)
1.	श्रेणी - क (मध्यस्तरीय कार्यपालक)	
2.	श्रेणी - ख	
	(कनिष्ठ स्तरीय कार्यपालक)	
3.	श्रेणी - ग	
	(गैर-कार्यपालक)	
4.	श्रेणी - घ (आगंतुक)	
II पुरानी कुर्सियों की वापस खरीद के लिए उद्धृत औसत दर		
	(विभिन्न श्रेणियों की कुर्सियों का मिश्रण)	

मुझे/हमें इस निविदा दस्तावेज में दी गई निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं ।